राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2016 ग्रम पंचायत टोगी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(मूलसिंह राजावत पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत टोगी

प्रकरण सं. – 07/2012 प्रा.प.　　　　निर्णय दिनांक – 20.05.2016

अनवान

1. महेन्द्र सिंह पिता डुंगर सिंह जाति रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रेम सिंह पिता किशन सिंह जाति रावत निवासी थोरिया तहसील भीम
2. जवान सिंह पिता मोटसिंह जाति रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम
3. हमीर सिंह पिता राम सिंह जाति रावत निवासी नन्दावट तहसील भीम

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

<u>वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी</u>

प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की निम्न खातेदारी जमीन गांव नन्दावट पटवार हल्का टोगी तहसील भीम में स्थित हैः–

खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
454	431	14 बिस्वा	बारानी 1
	432	01 बिस्वा	बंजड
	433	05 बिस्वा	बारानी 1
		05 बिस्वांसी	
कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वांसी			

उक्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर प्रार्थी उक्त भूमि पर काफी लम्बे समय से काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त जमीन के पडौस निम्नलिखित हैः–
पूर्व : स्वंय की भूमि।
पश्चिम : स्वयं की भूमि व हमीर सिंह पिता राम सिंह की भूमि।
उतर : प्रेम सिंह पिता किशन सिंह की जमीन।
दक्षिण : जवान सिंह पिता मोट सिंह की जमीन।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य जमीन की सीमा का विवाद है। इस कारण पक्की पत्थरगढी करवाना अत्यंन्त आवश्यक है ताकि सीमा का विवाद हमेशा के लिये खत्म हो जावें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प टोगी** मे पेश हुआ। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नन्दावट पटवार मण्डल टोगी के उपरोक्त आराजियात कुल खसरा नं. कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वांसी विवादित भूमि पर पत्थरगढी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे की प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा कराकर उक्त विवादित भूमि की पक्की पत्थरगढी करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हैं। निर्णय सुनाया गया।

(　　　　)
पीठासीन अधिकारी